



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14062022-236575
CG-DL-E-14062022-236575

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2600]
No. 2600]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 14, 2022/ज्येष्ठ 24, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 14, 2022/JYAISHTHA 24, 1944

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2022

का.आ. 2732(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), का.आ. संख्यांक 5668(अ) तारीख 9 नवंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में,

- (i) अध्यक्ष शीर्षक के अधीन क्रम संख्या 1 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात:-

“1. श्रम और रोजगार मंत्री,
भारत सरकार,
नई दिल्ली।” ;

- (ii) सदस्य शीर्षक के अधीन, क्रम सं.7 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात:-

7. संयुक्त सचिव (निवेश),
आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय,
भारत सरकार,
नई दिल्ली।” ।

[फा. सं. वी-20012/1/2017-एसएस-II]

विभा भल्ला, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना केन्द्रीय न्यासी बोर्ड का पुनर्गठन करने की, भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का.आ. 5668(अ), तारीख 09 नवंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा इसके पश्चात का.आ. 4323(अ), तारीख 02 दिसम्बर, 2019, का.आ. 1269(अ), तारीख 19 मार्च, 2020, का.आ. 963(अ), तारीख 26 फरवरी, 2021, का.आ. 4764 (अ), तारीख 16 नवंबर, 2021 और का.आ. 628(अ), तारीख 14 फरवरी, 2022, अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित की गई।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2022

S.O. 2732(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following amendments further to amend the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), vide number S.O. 5668(E), dated the 09th November, 2018, namely:-

In the said notification,-

- (i) under the heading CHAIRMAN, for serial number 1 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-
- "1. Minister of Labour and Employment,
Government of India,
New Delhi." ;
- (ii) under the heading MEMBERS, for serial number 7 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-
- "7. Joint Secretary (Investment),
Department of Economic Affairs, Ministry of Finance,
Government of India,
New Delhi."

[F. No. V-20012/1/2017-SS-II]

VIBHA BHALLA, Jt. Secy.

Note : The principal notification reconstituting the Central Board of Trustees was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 5668(E), dated the 09th November, 2018 and subsequently amended vide notification numbers S.O. 4323(E) dated the 02nd December, 2019, S.O. 1269(E), dated the 19th March, 2020, S.O. 963(E), dated the 26th February, 2021, S.O. 4764(E), dated the 16th November, 2021 and S.O. 628(E), dated the 14th February, 2022.